

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019—अग्रहायण 8, शक 1941

सहकारिता विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-5-2-2019-पन्द्रह-1-बी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-बी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (1) अनुक्रमांक 4 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 7 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
"8. डिण्डोरी।"
- (2) अनुक्रमांक 6 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 6 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
"7. आगर मालवा।"
- (3) अनुक्रमांक 7 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 5 के पश्चात, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—
"6. निवाड़ी।"
- (4) अनुक्रमांक 9 में, कालम (4) में, अनुक्रमांक 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज सिन्हा, उपसचिव.

Bhopal, the 27th November 2019

No F 5-2/2019/XV-1-B :: In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No.F-5-2-2010-XV-1-B dated 23rd October, 2010 namely:-

AMENDMENTS

In the said notification, in the table,-

- (1) in serial number 4, in column (4), after serial number 7, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-
"8. Dindori."
- (2) in serial number 6, in column (4), after serial number 6, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-
"7. Agar Malwa."
- (3) in serial number 7, in column (4), after serial number 5, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely:-
"6. Niwari."
- (4) in serial number 9, in column (4), serial number 4 and entries relating thereto shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
MANOJ SINHA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक एफ-5-2-2019-पन्द्रह-1-सी.—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 3 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, प्रथम अनुसूची में, अनुक्रमांक 1 के सामने कालम (5) में, अनुक्रमांक 39 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"40. आगर मालवा

41. निवाड़ी "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज सिन्हा, उपसचिव.

